भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2971
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर

2971. श्री अजय भट्ट:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विशेषकर उत्तराखंड राज्य में कोई औद्योगिक नीति अथवा विनिर्माण कार्य-योजना बनाने का है जिसका उद्देश्य कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित शोधार्थियों को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी विशेषज्ञता कृषि क्षेत्र के विकास और प्रौद्योगिकीय प्रगति में सार्थक योगदान दे सके?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): सरकार विभिन्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है, जिनका उद्देश्य उत्तराखंड सहित पूरे देश में कृषि जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा देना है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) वर्ष 2016-17 से सभी कृषि विश्वविद्यालयों (एयू) में कृषि एवं संबद्ध विषयों में उच्च शिक्षा के अंडरग्रेजुयट पाठ्यक्रम में एक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका नाम है "स्टूडेंट रेडी" (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना)। यह एक सुव्यवस्थित एक वर्षीय कार्यक्रम है, जिसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं, जो सभी कृषि छात्रों को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने हेतु अपने उद्यमशीलता कौशल विकसित करने के लिए वांछित कौशल प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए हैं, ताकि बेहतर रोजगार के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में विकास और प्रौद्योगिकी कि प्रगति हो सके।

स्टूडेंट रेडी कार्यक्रम के पांच घटक हैं:

i. अनुभवात्मक शिक्षा - व्यावसायिक मोड
ii. अनुभवात्मक शिक्षा - व्यावहारिक प्रशिक्षण (कौशल विकास)
iii. ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव (आरएडबल्यूई)
iv. संयंत्र में प्रशिक्षण /इंडस्ट्रीयल अटैचमेंट/इंटर्नशिप
v. छात्र परियोजनाएं

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग वर्ष 2002 से एग्री-क्लीनिक और एग्री-बिजनेस सेन्टर (एसी एवं एबीसी) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध विषयों में प्रशिक्षित स्नातकों की भागीदारी को बढ़ावा देना है, ताकि वे स्वरोजगार उद्यमों के

रूप में स्थापित कृषि उद्यमों के माध्यम से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में किसानों को परामर्श और विस्तार सेवाएं प्रदान कर सकें। यह प्रशिक्षण राष्ट्रीय विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज), हैदराबाद द्वारा चयनित नोडल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से दिया जाता है। उत्तराखंड राज्य में अब तक 608 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 212 उम्मीदवारों ने अपने उद्यम स्थापित कर लिए हैं और किसानों को सेवाएं दे रहे हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), भारत सरकार वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और एक इनक्यूबेशन पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस विभाग ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वयन सहायता और स्टार्टअप्स के इनक्यूबेशन के लिए देश भर से पांच ज्ञान भागीदारों (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई कृषि व्यवसाय इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) की नियुक्ति की है। स्टार्ट-अप्स कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में परियोजनाएं जैसे सेंसर के अनुप्रयोगों सहित सटीक कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), और ड्रोन, फार्म मशीनीकरण, पोस्ट-हार्वेस्ट, खाद्य प्रौद्योगिकी एवं मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला और कृषि रसद एवं कृषि इनपुट, वेस्ट टू वेल्थ एंड ग्रीन एनर्जी इन एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, संबद्ध क्षेत्र इत्यादि से शुरू कर रहे हैं।

उत्तराखंड सरकार निम्नलिखित कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि सहित प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने में उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है।

i. उत्तराखंड स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी-2023

   इस नीति का उद्देश्य कृषि क्षेत्र सहित स्टार्टअप को मासिक भत्ते, विपणन सहायता, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति और स्टाम्प शुल्क से छूट जैसे विभिन्न लाभ प्रदान करके सहायता देना है।

ii. उत्तराखंड कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसर प्रदान करता है, जिसमें निम्नलिखित प्रोत्साहन शामिल हैं:

   - पूंजी अनुदान: इनक्यूबेटर स्थापित करने या बढ़ाने के लिए पूंजी लागत का 50% तक।
   - परिचालन व्यय: इनक्यूबेटर के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपये।
   - कर लाभ: स्टाम्प शुल्क से छूट और एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति।

   ये पहलें कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमिता, नवाचार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करती हैं।

iii. उत्तराखंड सरकार ने कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित शोधार्थियों को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित करने के लिए कई पहलें शुरू की हैं:

- उत्तराखंड यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फोरेस्ट्री: यह विश्वविद्यालय वर्ष 2011 में स्थापित हुआ जो कृषि एवं बागवानी में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमाण-पत्र स्तर के कार्यक्रमों सहित विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- उत्तराखंड कॉउंसिल फॉर बॉयोटेक्नॉलोजी (यूसीबी) : छात्रों को कृषि क्षेत्र से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर, मोलिक्यूलर बॉयोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग सहित बॉयोटेक्नॉलोजी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।
- भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की "स्किल्स एक्यूजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन" (संकल्प) परियोजना, उत्तराखंड सरकार के प्रशिक्षण एवं रोजगार निदेशालय को कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास गतिविधियों की योजना, विकास, निगरानी और समन्वय में तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

*****